FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0308   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 20/11/2025 12:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भा दं सं 1860	420
4	भा दं सं 1860	467
5	भा दं सं 1860	468
6	भा दं सं 1860	471

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 23/01/2015   Date To (दिनांक तक): 23/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 10:00 बजे   Time To (समय तक): 17:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/11/2025   Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 20/11/2025 12:29:52 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 80 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): GRAM PANCHAYAT KUNDANPUR, SANGOD JILA KOTA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KUSLESHWAR SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): MANSINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1986

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MATUNDA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MATUNDA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MEENA KUMARI		पति:BHARAT SINGH	1. KUNDANPUR,SANGOD,KOTA RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध		

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात इस प्रकार है कि श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर के पत्रांक राजकाज रेफरेन्स नम्बर 13678308 दिनांक 18.02.2025 के क्रम में श्रीमान के प्रासंगिक पत्र द्वारा जॉच कमेटी का गठन कर ग्राम पंचायत कुन्दनपुर के-
(1) नर्सरी भवन व चारदीवारी निर्माण कितना आबादी भूमि पर है, और कितना निजी खातेदारी में, निजी खातेदारी पर निर्माण के लिये उत्तरदायी कौन है
(2) गुरु गोलवलकर योजना के तहत निर्मित श्मशान का अब तक उपयोग नही करने के कारण एवं निष्फल व्यय के दोषी कौन है
(3) आबादी भूमि के पट्टे जारी करने में हानि होना दर्शाया है, लेकिन दोषी कौन है
के सम्बन्ध में सूचना मय टिप्पणी चाही गई है। श्रीमान के आदेशों की पालना में गठित जॉच कमेटी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत वर्णित बिन्दुओं की बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है।-
(1) बिन्दु संख्या 1 के क्रम में- ग्राम कुन्दनपुर में सांगोद-पलायथा मेन रोड़ के पश्चिम दिशा में रोड़ के मध्य बिन्दु से 8.40 मीटर की दूरी पर नर्सरी भवन (सूरज चौक 2) स्थित है, वर्तमान में उक्त नर्सरी भवन की उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में लम्बाई 14 मीटर एवं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में लम्बाई 64.20 मीटर है। उक्त नर्सरी भवन की चारदीवारी एवं पश्चिम दिशा में एक कमरा जिसकी माप 3.60 मीटर गुणा 4.20 मीटर निर्मित है। प्रशासक एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुन्दनपुर के पत्र क्रमांक 440 दिनांक 19.02.2025 से पुरानी नर्सरी परिसर की चारदीवारी एवं एक कमरा (पश्चिम दिशा में) लगभग 35-40 वर्ष पुराना निर्मित होना अवगत करवाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा कार्य करवाने के पूर्व के फोटों भी प्रस्तुत किये गये जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है।(संलग्नक- 1(1से 3)
पटवारी, पटवार हलका कुन्दनपुर द्वारा मौके पर ही नर्सरी भवन का सीमाज्ञान राजस्व रिकार्ड अनुसार किया गया जिसके अनुसार उक्त नर्सरी भवन खसरा नम्बर 316, 315 एवं 314 में स्थित होना एवं स्नानघर खसरा नम्बर 682/325 में स्थित होना बताया गया। पटवारी हलका कुन्दनपुर द्वारा किये गये सीमाज्ञान के अनुसार उक्त नर्सरी भवन पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चारदीवारी से 30 मीटर तक खसरा नम्बर 316 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, मध्य भाग खसरा नम्बर 315 जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर 30 मीटर हैं तथा खसरा नम्बर 314 की लम्बाई पूर्व से पश्चिम दिशा में 4.20 मीटर लम्बाई है। जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 314 एवं खसरा नम्बर 315 निजी खातेदारी भूमि है। इसके अतिरिक्त नर्सरी भवन के अन्तर्गत संलग्न नक्शा में अंकित बिन्दु (D) पर स्नानघर निर्मित है, जो खसरा नम्बर 682/325 किस्म चाही तृतीय निजी खातेदारी भूमि है। (पटवारी हलका की सीमाज्ञान रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की नकल संलग्न हैं।) (संलग्नक- 1(4 से 9) इस प्रकार हलका पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नर्सरी भवन का निर्माण कार्य आबादी भूमि के साथ साथ निजी खातेदारी भूमि में भी होना पाया गया है।
ग्राम पंचायत कुन्दनपुर द्वारा उक्त नर्सरी भवन में निम्न कार्य करवाये गये है।
1.वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 138894 दिनांक 24.09.2022, कार्य का नाम" सामुदायिक भवन विकास कार्य पुरानी नर्सरी कुन्दनपुर, योजना दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना, स्वीकृत राशि 5.00 लाख रु0
2.वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 20942 दिनांक 29.05.2023, कार्य का नाम" सामुदायिक भवन पुरानी नर्सरी कुन्दनपुर विकास कार्य कुन्दनपुर, योजना राज्य वित्त आयोग षष्ठम्, स्वीकृत राशि 5.00 लाख रु0
3.वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 20944 दिनांक 29.05.2023, कार्य का नाम" सी.सी./इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य सामुदायिक

भवन पुरानी नर्सरी कुन्दनपुर, योजना राज्य वित्त आयोग षष्ठम्, स्वीकृत राशि 5.00 लाख रु0 एवं
4.वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 149 दिनांक 08.10.2023, कार्य का नाम" ग्राम कुन्दनपुर में पुरानी नर्सरी में टीन शेड निर्माण कार्य, योजना विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना०, स्वीकृत राशि 5.00 लाख रु0

उक्त कार्यों के सम्बन्ध में कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री कैलाश दत्त सुमन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार-

1.क्र.सं. 1 पर अंकित कार्य "सामुदायिक भवन विकास कार्य पुरानी नर्सरी कुन्दनपुर" योजना दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना, स्वीकृत राशि 5.00 लाख रु0 में माप पुस्तिका सं0 15 पृष्ठ सं. 37-39 में दर्ज मूल्यांकन अनुसार कार्य की कुल मूल्यांकन राशि रु0 4,92,592 रु0 में से राशि रु0 1,19,825 रु0 का कार्य ग्राम पंचायत कुन्दनपुर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 316 में एवं राशि रु0 3,72,767 रु0 का कार्य खातेदारी भूमि में होना पाया गया।

2.क्र.सं. 2 पर अंकित कार्य "सामुदायिक भवन पुरानी नर्सरी कुन्दनपुर विकास कार्य" कुन्दनपुर, योजना राज्य वित्त आयोग षष्ठम्, स्वीकृत राशि 5.00 लाख रु0 में माप पुस्तिका सं0 15 पृष्ठ सं. 93-96 में दर्ज मूल्यांकन अनुसार कार्य की कुल मूल्यांकन राशि 3,42,410 रु0 में से राशि रु0 22,580 रु0 का कार्य ग्राम पंचायत कुन्दनपुर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 316 में एवं राशि रु0 3,19,830 रु0 का कार्य खातेदारी भूमि में होना पाया गया।

3.क्र.सं. 3 पर अंकित कार्य "सी.सी./इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य सामुदायिक भवन पुरानी नर्सरी कुन्दनपुर" योजना राज्य वित्त आयोग षष्ठम्, स्वीकृत राशि 5.00 लाख रु0 में माप पुस्तिका सं0 4 पृष्ठ सं. 97-98 में दर्ज मूल्यांकन अनुसार कार्य की कुल मूल्यांकन राशि रु0 4,96,646 रु0 में से राशि रु0 3,90,216 रु0 का कार्य ग्राम पंचायत कुन्दनपुर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 316 में एवं राशि रु0 1,06,430 रु0 का कार्य खातेदारी भूमि में होना पाया गया।

4.क्र.सं. 4 पर अंकित कार्य "ग्राम कुन्दनपुर में पुरानी नर्सरी में टीन शेड निर्माण कार्य" योजना विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना०, स्वीकृत राशि 5.00 लाख रु0 में माप पुस्तिका सं0 15पृष्ठ सं. 55-56 में दर्ज मूल्यांकन अनुसार कार्य की कुल मूल्यांकन राशि रु0 4,97,481 रु0 में से राशि रु0 2,57,317.50 रु0 का कार्य ग्राम पंचायत कुन्दनपुर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 316 में एवं राशि रु0 2,40,163.50 रु0 का कार्य खातेदारी भूमि में होना पाया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत कुन्दनपुर द्वारा पुरानी नर्सरी में 4 निर्माण कार्य कुल स्वीकृत राशि रु0 20.00 लाख के पेटे करवाये गये कार्यों की मूल्यांकन राशि में से (1,19,82522,5803,90,2162,57,317.50) कुलराशि रु0 7,89,938.50का कार्य ग्राम पंचायत कुन्दनपुरकी आबादी भूमि खसरा नम्बर 316 में एवं (3,72,7673,19,8301,06,4302,40,163.50) कुल राशि 10,39,190.50 रु0 का कार्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 315,314 एवं 682/325 में होना पाया गया, जिसके लिये कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत कुन्दनपुर उत्तरदायी है। (कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय माप पुस्तिका संलग्न है।) (संलग्नक- 2(i सेxv) उक्त प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी श्री रामबाबू शर्मा द्वारा एक सहमति प्रत्र दिनांक 20.10.2020 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार खसरा सं0 315 के खातेदार धर्मवीर, भैरुलाल, पूरीबाई, रेशम एवं लाड़बाई जाति गूजर निवासीगण कुन्दनपुर द्वारा ग्राम कुन्दनपुर की खसरा नम्बर 315 की भूमि जो कि ग्राम पंचायत कुन्दनपुर की आबादी भूमि से सटी हुई है, इस जगह को ग्राम पंचायत को विकास कार्य करने में सहमति प्रदान की गई है, जो संलग्न है। (संलग्न-3) (2) बिन्दु संख्या 2 के क्रम में-गुरु गोलवलकर योजनान्तर्गत निर्मित शमशान का अब तक उपयोग नही करने के सम्बन्ध में सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुन्दनपुर द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त सूचना पत्र संलग्न कर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु 10 प्रतिशत जनसहयोग राशि (100000 रु0) जमा की जाकर श्मशान का निर्माण ग्रामवासियों के उपयोग में लिये जाने हेतु करवाया गया है। उक्त श्मशान का उपयोग किया जाना ग्रामबासियों के विवेक पर निर्भर है। ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की रोक-टोक अथवा मनाही नहीं है। (संलग्न-4)
(3) बिन्दु संख्या 3 के क्रम में-कार्यालय जिला कलक्टर कोटा के आदेश क्रमांक 1107 दिनांक 19.06.2020 से ग्राम किशनपुरा जागीर ग्राम पंचायत कुन्दनपुर की भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 7.62 हेक्टेयर किस्म चारागाह में से 1.51 हेक्टेयर भूमि को किस्म परिवर्तन कर सिवायचक करते हुए आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई तत्पश्चात उक्त 1.51 हेक्टेयर भूमि को आबादी विस्तार के लिये ग्राम पंचायत कुन्दनपुर को निःशुल्क आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन हेतु ग्राम पंचायत कुन्दनपुर के प्रस्ताव सं0 3 बैठक दिनांक 05.05.2020 की पालना में ग्राम पंचायत कुन्दनपुर के पत्र दिनांक 15.05.2020 एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 29 दिनांक 15.05.2020 के क्रम में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा को प्रेषित तहसीलदार (भू0अभि0) सांगोद के पत्रांक 1086 दिनांक 19.05.2020 के साथ संलग्न भू-आवंटन अभिशंषा मय चैक लिस्ट के बिन्दु सं018 "क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है" के सामने "नही" अंकित है। एवं बिन्दु सं019 "यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण" के सामने "-" अंकित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत कुन्दनपुर को आवंटित उक्त भूमि पर पूर्व से कोई निर्माण/रहवास/कब्जा/अतिक्रमण नही था, तथापि ग्राम पंचायत कुन्दनपुर द्वारा उक्त भूमि पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) (क) (ख) अन्तर्गत 4 व्यक्तियों को पट्टे जारी कर अनियमितता की गई है।
(संलग्न- 5(i to x)
ग्राम पंचायत कुन्दनपुर द्वारा ग्राम किशनपुरा की आबादी भूमि ख0नं.268/263

पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) (क) (ख) अन्तर्गत निम्नलिखित 4 व्यक्तियों को जारी पट्टो का विवरण निम्न प्रकार है।-

(1)दिनेश कुमार पुत्र श्री बंशीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम किशनपुरा को जारी पट्टा सं0 34344 दिनांक 16.11.2021 ग्राम पंचायत कुन्दनपुर के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.11.2021 की पालना में विनियमितीकरण राशि 100 रु0 रसीद सं0 43/3 दिनांक 23.03.2022 से जमा कर आबादी भूमि विक्रय विलेख नियम 157(1) (क) (ख) अन्तर्गत जारी किया गया है। उक्त पट्टा की पत्रावली में निम्न कमियाँपायी गई-

(अ)आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का अभाव एवं सम्बन्धित वार्डपंच/सरपंच के हस्ताक्षर मय टिप्पणी अंकित नहीं है।

(ब)ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदक से 30 वर्षों से अधिक निवास /कब्जा होने सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य एवं शपथ पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।

(स)ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.2021 के प्रस्ताव सं0 2 में मौका कमेटी का गठन किया गया, जिसकी दिनांक 20.10.2021 को ही मौका निरीक्षण रिपोर्टपत्रावली में संलग्न है।

(द)राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 एवं 149 की पालना में आपत्ति नोटिस 2 प्रतियों में जारी कर एक प्रति पट्टा दिये जाने वाली भूमि के किसीसहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया जाकर, दूसरी प्रति पर परिक्षैत्र के 2 प्रतिष्ठितव्यक्तियों के प्रमाण स्वरुप हस्ताक्षर करवाये जाने का प्रावधान है। उक्त के क्रम मेंपत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है एवं नोटिस चस्पा करने के साक्ष्य भी संलग्न नहीं है।

(य)पत्रावली में संलग्न अंतिम निर्णय पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सरपंच के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है। (संलग्न- 6(i to xi)

(2) लक्ष्मण सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम किशनपुरा को जारी पट्टा सं0 34350 दिनांक 16.11.2021 ग्राम पंचायत कुन्दनपुर के प्रस्ताव संख्या 2दिनांक 05.11.2021 की पालना में विनियमितीकरण राशि 100 रु0 रसीद सं0 15/2 दिनांक 16.11.2021 से जमा कर आबादी भूमि विक्रय विलेख नियम 157(1) (क) (ख) अन्तर्गत जारी किया गया है। उक्त पट्टा की पत्रावली मेंनिम्न कमियाँ पायी गई-

(अ)आवेदन पत्र पर सम्बन्धित वार्डपंच/सरपंच के हस्ताक्षर मय टिप्पणी अंकित नही है।

(ब)ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदक से 34 वर्षों से अधिक निवास/कब्जा होने सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।

(स)ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.2021 के प्रस्ताव सं0 2 में मौका कमेटी का गठन किया गया, जिसकी दिनांक 28.10.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्टपत्रावली में संलग्न है जिसमें आवेदक को 20 वर्षों से उक्त आवास में रहवास होना बताया है, परन्तु किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं है।

(द)पत्रावली में संलग्न प्रपत्र 6 के कॉलम 2 में मौका रिपोर्ट पर चर्चा का निर्णय प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20.10.2021 अंकित हैं, एवं कॉलम 3 में अनापत्ति पत्र जारीप्रक्रिया पर दिनांक25.10.2021 अंकित होना आपस में विरोधाभाषी है।

(य)राजस्थान पंचायती राजनियम 1996 के नियम 148 एवं 149 की पालना में आपत्ति नोटिस 2 प्रतियों में जारी कर एक प्रति पट्टा दिये जाने वाली भूमि के किसीसहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया जाकर, दूसरी प्रति पर परिक्षैत्र के 2 प्रतिष्ठितव्यक्तियों के प्रमाण स्वरुप हस्ताक्षर करवाये जाने का प्रावधान है। उक्त के क्रम मेंपत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है एवं नोटिस चस्पा करने के साक्ष्य भी संलग्न नहीं है।

(र)पत्रावली में संलग्न अंतिम निर्णय पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सरपंच के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है। (संलग्न- 7(i to ix)

(3) ईश्वर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम किशनपुरा को जारी पट्टा सं0 4554 दिनांक 21.03.2022 ग्राम पंचायत कुन्दनपुर के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 21.03.2022 की पालना में विनियमितीकरण राशि 100 रु0 रसीद सं0 7/2 दिनांक 10.11.2022 से जमा कर आबादी भूमि विक्रय विलेख नियम 157 (1)(क)(ख) अन्तर्गत जारी किया गया है। उक्त पट्टा की पत्रावली में निम्न कमियाँ पायी गई-

(अ)आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का अभाव है।

(ब)ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदक से 10 वर्षों से निवास/कब्जा होने सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।

(स)मौका कमेटी द्वारा दिनांक 22.11.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली मेंसंलग्न है जिसमें आवेदक को 10 वर्षों से उक्त आवास में रहवास होना बताया है,परन्तु किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं है।

(द)पत्रावली में संलग्न प्रपत्र 6 के कॉलम 2, 3 व 4 की पूर्ति नहीं की गई है।

(य)राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 एवं 149 की पालना में आपत्ति नोटिस 2 प्रतियों में जारी कर एक प्रति पट्टा दिये जाने वाली भूमि के किसीसहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया जाकर, दूसरी प्रति पर परिक्षैत्र के 2

प्रतिष्ठितव्यक्तियों के प्रमाण स्वरुप हस्ताक्षर करवाये जाने का प्रावधान है। उक्त के क्रम मेंपत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस पर दिनांक अंकित नही हैं, एवं नोटिस चस्पा करने के साक्ष्य भी संलग्न नहीं है। (संलग्न- 8(i to x)

(4) अर्जुन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम किशनपुरा को जारी पट्टा सं0 4555 दिनांक 21.03.2022 ग्राम पंचायत कुन्दनपुर के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 21.03.2022 की पालना में विनियमितीकरण राशि 100 रु0 रसीद सं0 6/2 दिनांक 10.11.2022 से जमा कर आबादी भूमि विक्रय विलेख नियम 157(1)(क)(ख) अन्तर्गत जारी किया गया है। उक्त पट्टा की पत्रावली में निम्न कमियाँ पायी गई-

(अ) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदक से 10 वर्षों से निवास /कब्जा होने सम्बन्धीकोई भी साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।

(ब) मौका कमेटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में मोका निरीक्षण की दिनांक अंकित नहीं है, साथ ही आवेदक के 10 वर्षों से रहवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य संलग्न नहीं है।

(स) पत्रावली में संलग्न प्रपत्र 6 के कॉलम की पूर्ति नहीं की गई है।

(य) राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 एवं 149 की पालना में आपत्ति नोटिस 2 प्रतियों में जारी कर एक प्रति पट्टा दिये जाने वाली भूमि के किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया जाकर, दूसरी प्रति पर परिक्षैत्र के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण स्वरुप हस्ताक्षर करवाये जाने का प्रावधान है। उक्त के क्रम में पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस पर दिनांक अंकित नही हैं, एवं नोटिस चस्पा करने के साक्ष्य भी संलग्न नहीं है। (संलग्न- 9(i to ix)ग्राम पंचायत कुन्दनपुर द्वारा जारी उक्त चारों पट्टों स्थल का मौका निरीक्षण किया गया जो निम्न प्रकार है।-

1. उक्त पट्टा स्थल की दूरी मुख्य ग्राम किशनपुरा से लगभग 1 किलोमीटर है, जो चार ग्रामों (मण्डाप, कुन्दनपुर, घाटोलिया एवं किशनपुरा) का रास्ता होने से चौराहा है।

2. दिनेश कुमार पुत्र श्री बंशीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम किशनपुरा द्वारा उक्त पट्टा स्थल पर 3 पक्की दुकानों का निर्माण किया हुआ है एवं एक दुकान निर्माणाधीन है। वर्तमान में दो दुकानो को अन्य लोगो (श्री रामकरण खाती निवासी कुन्दनपुर एवं श्री घनश्याम नागर निवासी घाटोलिया) को किराये पर दिया हुआ है। वर्तमान में श्री दिनेशकुमार का परिवार ग्राम किशनपुरा में स्थित पुश्तेनी मकान में निवास करता है। उक्त पट्टा स्थल पर श्री दिनेशकुमार का कोई पुश्तैनी आवासीय मकान नही है। (संलग्नक-...10..)

3 लक्ष्मण सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम किशनपुरा का पट्टा स्थल पर आवास निर्मित है जिसमें लक्ष्मण सिंह एवं उसके पुत्र अर्जुन सिंह व ईश्वर सिंह परिवार सहित निवासरत है। (संलग्नक-11)

4. ईश्वर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम किशनपुरा का पट्टा स्थल पर कोई पुश्तैनी आवास निर्मित नहीं है वरन् रोड़ साईड पर ईश्वरसिंह व अर्जुन सिंह (दोनो आपस में भाई है) की संयुक्त दीवार निर्माण कर टीन शेड़ किया हुआ है शेष पट्टाशुदा भूमि खाली है। ईश्वर सिंह वर्तमान में पिता लक्ष्मण सिंह के साथ ही निवास करता है। (संलग्न-12)

5. अर्जुन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम किशनपुरा का पट्टा स्थल पर कोई पुश्तैनी आवास निर्मित नहीं है वरन् रोड़ साईड पर ईश्वरसिंह व अर्जुन सिंह (दोनो आपस में भाई है) की संयुक्त दीवार निर्माण कर टीन शेड़ किया हुआ है शेष पट्टाशुदा भूमि खाली है। अर्जुन सिंह पिता लक्षमण सिंह के साथ ही निवास करता है। (संलग्न-12)

ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टों की पत्रावलियों एवं पट्टा स्थल के मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148,149 व 157 (1) के प्रावधानों की भी पूर्णतया पालना नहीं की गयी है।

निष्कर्ष-

1.ग्राम पंचायत कुन्दनपुर द्वारा पुरानी नर्सरी में 4 निर्माण कार्य कुल स्वीकृत राशि रु0 20.00 लाख के पेटे करवाये गये कार्यो की मूल्यांकन राशि में से(1,19,82522,5803,90,216,57,317.50) कुल राशि रु0 7,89,938.50 का कार्य ग्राम पंचायत कुन्दनपुर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 316 में एवं (3,72,7673,19,8301,06,4302,40,163.50) कुल राशि 10,39,190.50 रु0 का कार्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 315, 314 एवं 682/325 में होना पाया गया, जिसके लिये कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत कुन्दनपुर उत्तरदायी है।

प्रकरण अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारी श्री रामबाबू शर्मा द्वारा एक सहमति प्रत्र दिनांक 20.10.2020 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार खसरा सं0 315 के खातेदार धर्मवीर, भैरुलाल, पूरीबाई, रेशम एवं लाड़बाई जाति गूजर निवासीगण कुन्दनपुर द्वारा ग्राम कुन्दनपुर की खसरा नम्बर 315 की भूमि जो कि ग्राम पंचायत कुन्दनपुर की आबादी भूमि से सटी हुई है, इस जगह पर ग्राम पंचायत को विकास कार्य करने में सहमति प्रदान की गई है।

2. उक्त श्मशान का उपयोग किया जाना ग्रामवासियों के विवेक पर निर्भर है। ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की रोक-टोक अथवा मनाही नहीं है।

3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा को प्रेषित तहसीलदार (भू0अभि0) सांगोद के पत्रांक 1086 दिनांक 19.05.2020 के साथ संलग्न भू-आवंटन अभिशंषा मय चैक लिस्ट के बिन्दु सं018 "क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है" के सामने "नही" अंकित

है। एवं बिन्दु सं0 19 "यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण" के सामने "-" अंकित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत कुन्दनपुर को आवंटित उक्त भूमि पर पूर्व से कोई निर्माण/रहवास/कब्जा/अतिक्रमण नही था। तथापि ग्राम पंचायत कुन्दनपुर द्वारा उक्त भूमि पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) (क) (ख) अन्तर्गत 4 व्यक्तियों को पट्टे जारी कर की गयी अनियमितता के लिये तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। इस बाबत जाँच रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विरुद्ध 1. श्रीमती मीना कुमारी पत्नि श्री भरत सिहं ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा सरपंच ग्राम पंचायत कुन्दनपुर पंचायत समिति सांगोद कोटा अन्तर्गत धारा 13 (1)(a),13(2) PC PC ACT 1988संशोधित एक्ट 2018 सपठित धारा 420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता मे तैयार की जाकर मय सेवा विवरण के बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है। (मुकुल शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकुल शर्मा, अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1)(a),13(2)PC PC ACT 1988 संशोधित एक्ट 2018 सपठित धारा 420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपीया श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री भरत सिहं उम्र 69 साल निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत कुन्दनपुर पंचायत समिति सांगोद कोटा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनिष अहमद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 384 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1743-47 दिनांक 20.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2-आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवाद्, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (आर. नं. 6776) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANISH AHMED **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2025 1[illegible]9

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1956				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)